पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर

अधिसूचना

पृ.क्रमांक१५१५/अका./२००६ ~~१२~~ अक्टूबर, २००६
17-10-06

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र एफ क्रमांक २७-१/२००५ (ए.एस.सी.) दिनांक ११ अक्टूबर २००६ के द्वारा पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अकादमिक स्टाफ कालेज की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूरे भारत में अभी तक ५२ विश्वविद्यालयों को ही अकादमिक स्टाफ कालेज की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। अकादमिक स्टाफ कालेज का उद्देश्य ऑरिऐण्टेशन कार्यक्रम एवं रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से राज्य में स्थित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को संबंधित विषयों में आधुनिकतम विषय सामग्रियों से अवगत कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के विश्वविद्यालयों एवं राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों में कार्यरत विषय-विशेषज्ञों को इन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जावेगा। नव-नियुक्त व्याख्याताओं को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान एवं सेलेक्शन ग्रेड के लिये एक ओरिऐण्टेशन कार्यक्रम एवं दो रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय में अकादमिक स्टाफ कालेज की स्थापना से राज्य के समस्त शिक्षकों को इसकी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऑरिऐण्टेशन कार्यक्रम एवं रिफ्रेशर कोर्स के संचालन हेतु रू.५० लाख का अनुदान स्वीकृत किया है। साथ ही अकादमिक स्टाफ के रूप में आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता के एक-एक पद तथा गैर-शैक्षणिक स्टाफ के रूप में सात पदों की स्वीकृत प्रदान की है। अकादमिक स्टाफ कालेज की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से ही संभव हो सका है।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक१५१५/अका./२००६ ~~१२~~ अक्टूबर, २००६
17-10-06

प्रतिलिपि-

१. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
३. सचिव, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
४. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास.विज्ञान महा.परिसर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षकों को तत्संबंध में सूचना देने का कष्ट करें।
६. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
७. कुलसचिव, गुरुघासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों को प्रसारित करने का कष्ट करें।
८. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त समाचार अपने समाचार-पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
९. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक/उपकुलसचिव अकादमिक/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी प्रशासन/वित्त अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव